भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 413
उत्तर देने की तारीख: 23.03.2020

स्कूल बस्ते का भार

*413. श्री भानु प्रताप सिंह वर्माः
श्री मोहनभाई कुंडारियाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने छोटे बच्चों, विशेषतः कक्षा-5 तक के छोटे बच्चों के स्कूल बस्तों का भार कम करने के दृष्टिगत देशभर के विद्यालयों में डिजीटल शिक्षा की कोई योजना बनाई है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'स्कूल बस्ते का भार' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और श्री मोहनभाई कुंडारिया द्वारा दिनांक 23.03.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 413 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : सरकार ने स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए डिजिटल कार्यक्रमों सहित निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) **सभी कक्षाओं (I से XII) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए** डिजिटाइज्ड किताबें और अन्य ई-लर्निंग सामग्री को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा), **राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संसाधन रिपोजिटरी** (नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज (एनआरओईआर), स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम), **ई-पाठशाला** आदि पर अपलोड किया गया हैं। सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सभी कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों को डिजिटल बनाने और दीक्षा पर अपलोड करने के लिए कहा गया है।

(ii) सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 'विषयों को पढ़ाने शिक्षा और स्कूल बैग के वजन को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने' हेतु 05.10.2018 को पत्र भी लिखा है:

- स्कूल, कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए भाषा और गणित तथा कक्षा **III** से **V** के छात्रों के लिए भाषा, गणित और ईवीएस के अलावा किसी भी अन्य विषय को निर्धारित नहीं कर सकते।

- स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे कक्षा 1 और II के छात्रों को कोई होमवर्क न दें।
- कक्षा **I** और **II** के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन 1.5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। कक्षा **III** से **V** के छात्रों के लिए स्कूल बैग का अधिकतम वजन 2-3 किलोग्राम, कक्षा **VI** से **VII** के छात्रों के लिए 4 किलोग्राम, कक्षा **VIII** से **IX** के छात्रों के लिए 4.5 किलोग्राम और कक्षा **X** के छात्रों के लिए 5 किलोग्राम है।

- छात्रों को निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अतिरिक्त किताबें और अन्य सामग्री लाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र केवल समय-सारणी के अनुसार आवश्यक पाठ्य पुस्तकों को ही ले कर आएं।

(iii) **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क** (एनसीएफ)-2005 में **'भार मुक्त शिक्षण'** पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूल बैग के वजन में कमी के मुद्दे का समाधान किया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि स्कूलों को अपनी लचीली समय सारणी विकसित करने के लिए स्वायत्तता दी जानी चाहिए ताकि स्कूल प्रत्येक दिन दो या तीन विषयों का शिक्षण दें, जिससे छात्रों को गतिविधियाँ करने के लिए अधिक समय मिल सके और वे अवधारणा की गहरी समझ विकसित कर सकें। एनसीईआरटी नियमित अंतराल पर शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम में इस मुद्दे का समाधान करता है।

(iv) नए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम भार पर एनसीएफ 2005 के परिप्रेक्ष्य को दर्शाते हैं और ये संवादात्मक हैं और बाल केंद्रित शिक्षण पर आधारित हैं। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें और अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री इसकी वेबसाइट **www.ncert.nic.in** पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

(v) **एनसीईआरटी** ने कक्षा **I** और **II** के लिए केवल दो पुस्तकों (भाषा और गणित) और कक्षा **III** से **V** के लिए तीन पुस्तकें (भाषा, ईवीएस और गणित) की सिफारिश की है। एनसीईआरटी ने सभी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को वेब और मोबाइल उपकरण के माध्यम से मुफ्त पहुंच के लिए भी उपलब्ध कराया है।

(vi) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा **I-VIII** में निर्धारित की जाने वाली अधिकतम पुस्तकों को निर्दिष्ट करने वाले परिपत्र जारी किए हैं। उन्होंने परिपत्र भी जारी किए हैं, जो स्कूलों, शिक्षकों और अभिभावकों को विस्तृत निर्देश प्रदान करते हैं कि वे स्कूल बैग का वजन कम करें और स्कूलों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि कक्षा **II** तक के छात्रों को कोई होमवर्क न दिया जाए।

*****